



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032022-233954
CG-DL-E-05032022-233954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/फाल्गुन 13, 1943

No. 973]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 1003(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4280 (अ) तारीख 03.09.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा झारखण्ड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बी दी पी एल) & स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो एण्ड धामरा पाईपलाइन प्रोजेक्ट रांची से अंगुल

राज्य:—झारखण्ड

जिला	अंचल	मौजा	थाना सं.	सर्वे संप	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
खूंटी	तोरपा	नावाटोली	33	116	00	01	11
खूंटी	रनिया	गरई	100	448	00	02	89
				443	00	00	12
				447	00	00	99
खूंटी	रनिया	टोकेन	129	386	00	00	40
खूंटी	रनिया	कोटांगर	130	73	00	00	20
				69	00	02	06
				63	00	02	36
				75	00	00	20
खूंटी	रनिया	गोहाराम	131	1190	00	01	44
				1200	00	18	73
				1192	00	07	99
				1189	00	04	41
				79	00	05	46
गुमला	कामडारा	कुलबुरु	04	1379	00	23	82
				1378	00	05	67
				1377	00	08	91
				1346	00	02	32
				2262	00	00	23
				2266	00	03	16
				2261	00	15	94

गुमला	कामडारा	खिजरी	03	1603	00 22 87
सिमडेगा	जलडेगा	किनिरकेला	79	1105	00 06 09
				1106	00 24 53
				1104	00 05 25
				1108	00 01 38
				1107	00 00 06
				1101	00 00 51
सिमडेगा	जलडेगा	पतिअम्बा	77	2045	00 06 65
				3896	00 04 79
				3897	00 10 92
				3899	00 00 25
				2092	00 18 90
सिमडेगा	जलडेगा	टंगिया	63	1035	00 40 03
				1034	00 01 06
सिमडेगा	जलडेगा	हुटुटुआ	36	2799	00 00 62
				2802	00 00 55
सिमडेगा	बांसजोर	बोंगेरा	16	2342	00 12 44
				2338	00 01 51
				2340	00 04 52

[फा. सं. एल- 14014/36/2022-जीपी-II (ई-41720)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2022

S.O. 1003(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 4280 (E) dated 03.09.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Jharkhand by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline Project

RANCHI TO ANGUL

State : Jharkhand

DISTRICT	BLOCK	Village	Thana No.	New Survey No.	Area
					Hect. Are. Sq. mtr
Khunti	Torpa	Nawatoli	33	116	00 01 11
Khunti	Rania	Garai	100	448	00 02 89
				443	00 00 12
				447	00 00 99
Khunti	Rania	Token	129	386	00 00 40
Khunti	Rania	Kotanger	130	73	00 00 20
				69	00 02 06
				63	00 02 36
				75	00 00 20
Khunti	Rania	Goharam	131	1190	00 01 44
				1200	00 18 73
				1192	00 07 99
				1189	00 04 41
				79	00 05 46
Gumla	Kamdara	Kulburu	04	1379	00 23 82
				1378	00 05 67
				1377	00 08 91
				1346	00 02 32
				2262	00 00 23
				2266	00 03 16
				2261	00 15 94
Gumla	Kamdara	Khijri	03	1603	00 22 87
Simdega	Jaldega	Kinirkela	79	1105	00 06 09
				1106	00 24 53
				1104	00 05 25

				1108	00 01 38
				1107	00 00 06
				1101	00 00 51
Simdega	Jaldega	Patiamba	77	2045	00 06 65
				3896	00 04 79
				3897	00 10 92
				3899	00 00 25
				2092	00 18 90
Simdega	Jaldega	Tangiya	63	1035	00 40 03
				1034	00 01 06
Simdega	Jaldega	Hututua	36	2799	00 00 62
				2802	00 00 55
Simdega	Bansjor	Bongera	16	2342	00 12 44
				2338	00 01 51
				2340	00 04 52

[F. No. L-14014/36/2022-GP-II (E-41720)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.